

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रांशि०)  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

सेवा में,

निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,  
ननूरखेड़ा, देहरादून।

पत्रांक / प्रांशि०-२ / 2172-76 / वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20 दिनांक 25 जून 2019  
विषय:- उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण 2019 में स्थानान्तरित हुये शिक्षकों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण 2019 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित हुये शिक्षकों की सूची ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

अतः महोदय से निवेदन है कि स्थानान्तरित हुये शिक्षकों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भववाम्

पृ०सं० / प्रांशि०-२ / 2172-76 / वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20, दिनांक उक्तांकित।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
2. अपर निदेशक, प्रांशि०, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिंग० नरेन्द्रनगर।
4. समस्त उपशिक्षा अधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
5. कार्यालय पत्रावली।

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रांशि०  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

**कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल**  
 आदेश सं/ प्राप्रशि०-२/ **२३५** /वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20      दिनांक- **२५**, जून 2019  
**अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों का तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं	प्रधानाध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अन्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	श्रीमती दीपा डंगवाल	रा०प्रा०वि० दिखोलगांव, चम्बा टिंगो।	रा०प्रा०वि० बगराडी, थौलधार टिंगो।	रिक्त पद के प्रति
2-	श्रीमती कुसुम भट्ट	रा०प्रा०वि० कोकलियालगांव, जौनपुर टिंगो।	रा०प्रा०वि० पटुडी, जाखणीधार टिंगो।	रिक्त पद के प्रति
3-	श्रीमती रीता पंवार	रा०प्रा०वि० बंगलो की कांडी, जौनपुर टिंगो।	रा०प्रा०वि० ओन्तण, जौनपुर टिंगो।	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
  2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
  3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
  4. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारांभित/ठंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
  5. स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा।
- उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

*[Signature]*  
 (सुदशन सिंह विघ्न)  
 प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्राप्रशि०),  
 टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी  
 दिनांक- / उक्तांकित।

पृ०सं०/ प्राप्रशि०-२/ **२०५२-६०** /वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी/सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
- 8- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- 9- सम्बन्धित कार्मिक।
- 10- कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

*[Signature]*  
 प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्राप्रशि०),  
 टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी  
 [Signature]

## कार्यालयः— जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल

आदेश सं०/प्रा०शि०-२/ **२३४** /वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20 दिनांक **२५**, जून 2019


### अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय निहित स्थानान्तरण समिति की संरक्षित के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों का तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है।

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री अतर सिंह	रा०प्रा०वि० देवनघंसी जौनपुर	रा०प्रा०वि० मौण, नरेन्द्रनगर	रिक्त पद के प्रति
2	श्री लक्ष्मी प्रसाद जोशी	रा०प्रा०वि० खोला बडियार कीर्तिनगर	रा०प्रा०वि० मंगसू कीर्तिनगर	रिक्त पद के प्रति
3	गम्भीर सिंह नेगी	रा०प्रा०वि० मञ्जूली डागर कीर्तिनगर	रा०प्रा०वि० गजा चम्बा	रिक्त पद के प्रति
4	श्री मोर सिंह बंगारी	रा०प्रा०वि० कोटी (नवीन) डागर कीर्तिनगर	रा०प्रा०वि० उठड़, जाखणीधार	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

1. दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
  2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
  3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
  4. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
  5. स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा।
- उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

  
 (सुदर्श सिंह विष्ट)  
 प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
 गढ़वाल टिहरी।

पृष्ठा ०१ / प्राप्ति ०२ / २०५३-५४ / वार्षिक स्थानान्तरण / २०१९-२०  
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

१— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।  
२— जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।  
३— मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।  
४— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।  
५— अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।  
६— मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।  
७— वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी/सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।  
८— सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।  
९— सम्बन्धित कार्मिक।  
१०— कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

दिनांक— उक्तांकित।

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्राप्ति),  
टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड देहरादून।

# कार्यालयः— जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल

आदेश सं० / प्रा०शि०-२ / २३७ / वार्षिक स्थानान्तरण / २०१९-२० दिनांक— २५, जून २०१९

## अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा—16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों का तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अन्वयित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्रीमती नाजमा बेग	रा०प्रा०वि० किरगणी थौलधार	रा०प्रा०वि० कण्डालगांव जौनपुर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती रेखा कोटियाल	रा०प्रा०वि० कोटी भरपूर देवप्रयाग	रा०प्रा०वि० महरकाण्डा देवप्रयाग टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती रंजना सजवाण	रा०प्रा०वि० चम्बा	रा०प्रा०वि० मुयालगांव, भिलंगना टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती ममता पाण्डेय	रा०प्रा०वि० सिमखाड़ा देवप्रयाग	रा०प्रा०वि० क्यारा नरेन्द्रनगर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती मंजू मखलोना	रा०प्रा०वि० मन्ज्युड़ चम्बा	रा०प्रा०वि० पसनी, चम्बा टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती जैबुल निशा	रा०प्रा०वि० छोटा रुदूंठा चम्बा	रा०प्रा०वि० भुयांसारी, जौनपुर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
7	श्रीमती सीता असवाल	रा०प्रा०वि० हडम	रा०प्रा०वि० मदनगेंगी जाखणीधार टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
8	श्रीमती किरन नेगी	रा०प्रा०वि० बगासूधार चम्बा	रा०प्रा०वि० कोटीजुवा, थौलधार टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
9	श्रीमती मैराज बानो	रा०प्रा०वि० डिवनू चम्बा	रा०प्रा०वि० डांग जुवा, थौलधार टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
10	श्रीमती मुनीजा खातून	रा०प्रा०वि० छोलगांव जाखणीधार	रा०प्रा०वि० तिमली टोलकी, नरेन्द्रनगर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
11	मनमोहन सिंह रांगड़	रा०प्रा०वि० खारासोत नरेन्द्रनगर	रा०प्रा०वि० फर्शुपाणी न०नगर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
12	श्रीमती सुनयना बिजल्वाण	रा०प्रा०वि० शीशमझाड़ी नरेन्द्रनगर	रा०प्रा०वि० बांसकाटल न०नगर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा—22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी—

1. दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की रामाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा—24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सार्वगति/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

- 5 स्थानान्तरित शिक्षको का माह जुलाई का वेतन नवीन रैनारी के विद्यालय से आहरित किया जायेगा।  
उक्त का पालन तत्काल प्रमाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(सुदशन सिंह बिट)  
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्राप्ति),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।  
दिनांक— उक्तांकित।

पृ०स० / प्राप्ति-२ / २०७० - ७८ / वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20  
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- 1— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2— जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 3— मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 4— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5— अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6— मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- 7— वरिष्ठ कौशाधिकारी, नई टिहरी/सम्बन्धित कौशाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
- 8— सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश सम्यान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- 9— सम्बन्धित कार्मिक।
- 10— कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्राप्ति),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

# कार्यालयः— जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल

आदेश सं०/प्रा०शि०-२/ २५० /वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20 दिनांक— २५, जून 2019

## अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा—16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों का तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ—4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है—

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती वाले विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नियाज मोहम्मद	रा०प्रा०वि० भवान जौनपुर	रा०प्रा०वि० केमरगांव चम्बा	रिक्त पद के प्रति
2	सन्तोष जोशी	रा०प्रा०वि० गयाणा नगर कीर्तिनगर	रा०प्रा०वि० कोटी फेगुल भिलंगना	रिक्त पद के प्रति
3	खेलसार असवाल	रा०प्रा०वि० किमोई जौनपुर	रा०प्रा०वि० गुनोगी बमुण्ड चम्बा	रिक्त पद के प्रति
4	मकान सिंह	रा०प्रा०वि० पारीपैण्डुला कीर्तिनगर	रा०प्रा०वि० पोखरी, न०नगर	रिक्त पद के प्रति
5	सत्येन्द्र सिंह	रा०प्रा०वि० हटवालगांव जौनपुर	रा०प्रा०वि० नकोट, चम्बा	रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती भगवती कोटनाला	रा०प्रा०वि० डांडा जौनपुर	रा०प्रा०वि० मोटणाधार चम्बा	रिक्त पद के प्रति
7	सरस्वती रावत	रा०प्रा०वि० तन्दील न०नगर	रा०प्रा०वि० कोटी न०नगर	रिक्त पद के प्रति
8	मीना कुकरेती	रा०प्रा०वि० जमठियालगांव जौनपुर	रा०प्रा०वि० खाण्ड चम्बा	रिक्त पद के प्रति
9	श्रीमती कुसुमलता	रा०प्रा०वि० खरसोन जौनपुर	रा०प्रा०वि० थौलधार,	रिक्त पद के प्रति
10	श्रीमती लक्ष्मी काला	रा०प्रा०वि० सर्तेगल जौनपुर	रा०प्रा०वि० ललोटना, जौनपुर	रिक्त पद के प्रति
11	श्रीमती कमलेश ध्यानी	रा०प्रा०वि० सुरांशु जौनपुर	रा०प्रा०वि० कुदाऊं जौनपुर	रिक्त पद के प्रति
12	अनिल कुमार	रा०प्रा०वि० जमठियालगांव जौनपुर	रा०प्रा०वि० बहेड़ा भिलंगना	रिक्त पद के प्रति
13	श्रीमती नीलम	रा०प्रा०वि० नवागांव जौनपुर	रा०प्रा०वि० घरगांव, चम्बा	रिक्त पद के प्रति
14	श्रीमती सुनीता उनियाल	रा०प्रा०वि० मैराफ जाखणीधार	रा०प्रा०वि० मंज्याडगांव चम्बा	रिक्त पद के प्रति
15	संगीता रोहिल्ला	रा०प्रा०वि० ख्यार्सी जौनपुर	रा०प्रा०वि० घोटी, भिलंगना	रिक्त पद के प्रति
16	रेखा असवाल	रा०प्रा०वि० मुंडाला न०नगर	रा०प्रा०वि० गजा चम्बा	रिक्त पद के प्रति
17	दिनेश रावत	रा०प्रा०वि० गंगसारगांव न०नगर	रा०प्रा०वि० दुवाकोटी चम्बा	रिक्त पद के प्रति
18	शकुन्तला मेवाड़ी	रा०प्रा०वि० कुपड़ी देवप्रयाग	रा०प्रा०वि० किराड़ा न०नगर	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविद्यानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।-

1. दीर्घ श्रीमत्कालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नए तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगमित/टक्कण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा।

*[Signature]*  
(सुदर्शन सह विष्ट)  
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्राऊशिय),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

दिनांक— उक्तांकित।

पूर्ण/ प्राऊशिय-2/१०१७-११०५ /वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- 1— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2— जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 3— मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 4— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5— अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6— मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- 7— वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी/सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
- 8— सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निदेश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश सम्बन्धित उपलब्ध कराते हुये दीर्घ श्रीमत्कालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करे।
- 9— रामबन्धित कार्मिक।
- 10— कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

*[Signature]*  
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्राऊशिय),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

## कार्यालयः— जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल

आदेश सं०/ प्रा०शि०-२/ **२३६** /वार्षिक स्थानान्तरण /२०१९-२० दिनांक—**२५**, जून २०१९


### अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तीरीय निहित स्थानान्तरण समिति की संस्थुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुरांगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों का तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है—

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री अवतार सिंह रांगड़	रा०उ०प्रा०वि० सिमलासू देवप्रयाग	रा०उ०प्रा०वि० किरोड़ देवप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
2	श्री लक्ष्मी प्रसाद कुकरेती	रा०उ०प्रा०वि० कोटी ढुण्डरिंग कीर्तिनगर	रा०उ०प्रा०वि० घिल्डियालगांव	रिक्त पद के प्रति
3	श्री भगवान सिंह लिंगवाल	रा०उ०प्रा०वि० भाद्रीखाल देवप्रयाग	रा०उ०प्रा०वि० बिडाकोट, देवप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
4	श्री जगदम्बा प्रसाद भट्ट	रा०उ०प्रा०वि० नसोगी नरेन्द्रनगर	रा०उ०प्रा०वि० साबली, चम्बा	रिक्त पद के प्रति
5	श्री शम्भु सिंह पोखरियाल	रा०उ०प्रा०वि० पोखरी प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० तानगला, चम्बा	रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती सुशीला नेही	रा०उ०प्रा०वि० गडाकोट देवप्रयाग	रा०उ०प्रा०वि० धौलंगी कीर्तिनगर	रिक्त पद के प्रति
7	श्री खिला मिस्त्री	रा०उ०प्रा०वि० जरोला देवप्रयाग	रा०उ०प्रा०वि० सुन्दरियाणा, कीर्तिनगर	रिक्त पद के प्रति


वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी—

1. दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करें।
  2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश रवीकृत नहीं किया जायेगा।
  3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यमार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
  4. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगमित/टक्कण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के ०३ दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
  5. स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा।
- उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

  
 (सुदर्शन सिंह बिष्ट)  
 प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
 टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

पृष्ठा ० / प्राप्ति ०-२ / **२०६१-६९** / वार्षिक स्थानान्तरण / २०१९-२०  
दिनांक- उक्तांकित।  
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।  
१- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।  
२- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।  
३- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।  
४- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।  
५- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।  
६- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।  
७- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी/सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।  
८- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीघं ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।  
९- सम्बन्धित कार्मिक।  
१०- कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्राप्ति),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।



# कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल

आदेश सं० / प्रा०शि०-२ / **२३८** / वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20

दिनांक- **२५**, जून 2019


## अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण रामिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों का तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अन्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्रीमती अंजना सकलानी	रा०उ०प्रा०वि० कुमाल्डा जौनपुर	रा०उ०प्रा०वि० बांडाचक, जौनपुर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती लता नेगी	रा०उ०प्रा०वि० भटोली जौनपुर	रा०उ०प्रा०वि० लंगडासू, जौनपुर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती प्रभा घिल्डियाल	रा०उ०प्रा०वि० गेंवली (देवल) जाखणीधार	रा०उ०प्रा०वि० पोखरी, प्रतापनगर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती आशा कण्डारी	रा०उ०प्रा०वि० तानगला चम्बा।	रा०उ०प्रा०वि० पाली पालकोट नरेन्द्रनगर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती मधुबाला पंवार	रा०उ०प्रा०वि० नैल चम्बा।	रा०उ०प्रा०वि० पटुडी जाखणीधार टि०ग०	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिरथानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
  2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
  3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
  4. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगमित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक रुपर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
  5. स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा।
- उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

  
 (सुदर्शन सिंह विष्ट)  
 प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
 टिहरी गढ़वाल नई टिहरी।

पृ०सं० / प्रा०शि०-२ / **२०२९-४७** / वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20


दिनांक- उक्तांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- आपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

- 7— वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी/सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
- 8— सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यपुरुषता करवाना सुनिश्चित करें।
- 9— सम्बन्धित कार्मिक।
- 10— कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक),  
टिहरी गढ़वाल नई टिहरी।



# कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल

आदेश सं0/प्रा०शि०-2/

**२३९**

/वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20

दिनांक—**२५**, जून 2019


## अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुरांगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों का तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं0	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अन्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री देवी प्रसाद पैन्यूली	रा०उ०प्रा०वि० सौड भिलंगना	रा०उ०प्रा०वि० मोटणाधार, चम्बा	रिक्त पद के प्रति
2	श्री जगदीश सिंह	रा०उ०प्रा०वि० बागी बनगढ़ देवप्रयाग	रा०उ०प्रा०वि० भोनावागी चम्बा	रिक्त पद के प्रति
3	श्री भूर सिंह पंवार	रा०उ०प्रा०वि० खेतपाली प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० पाली काकड़ासारी नरेन्द्रनगर	रिक्त पद के प्रति
4	बृजमोहन पैन्यूली	रा०उ०प्रा०वि० तिनवालगांव प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० सुररिंहधार, चम्बा	रिक्त पद के प्रति
5	रणवीर सिंह बगियाल	रा०उ०प्रा०वि० गोलाणी प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० मुनेटवागी, देवप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
6	बचन सिंह अरावाल	रा०उ०प्रा०वि० बैल्डोगी प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० गाजाणा, चम्बा	रिक्त पद के प्रति
7	श्री जीत सिंह पंवार	रा०उ०प्रा०वि० बिजपुर प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० नैथाणा, कीर्तिनगर	रिक्त पद के प्रति
8	श्री जगदीश प्रसाद कोठियाल	रा०उ०प्रा०वि० माणदा चम्बा	रा०उ०प्रा०वि० बडेडा, नरेन्द्रनगर	रिक्त पद के प्रति
9	श्री पूरण सिंह बिष्ट	रा०उ०प्रा०वि० नीरी थौलधार	रा०उ०प्रा०वि० मजेपुर, जौनपुर	रिक्त पद के प्रति
10	श्री कुंवर सिंह रावत	रा०उ०प्रा०वि० गेंवली पाव जाखणीधार	रा०उ०प्रा०वि० घण्डियालधार देवप्रयाग	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-


1. दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सत्राह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ ग्रहण करेंगे।
  2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
  3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
  4. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगम्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
  5. स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा।
- उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

  
 (सुदूरशन सिंह बिष्ट)  
 प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
 टिहरी गढ़वाल जाई टिहरी।

पृ०सं०/ प्रा०शि०-२/ २०८८-९६ /वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20 दिनांक- उक्तांकित।  
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।  
2— जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।  
3— मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।  
4— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।  
5— अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।  
6— मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।  
7— वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी/सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।  
8— सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।  
9— सम्बन्धित कार्मिक।  
10— कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, वृंदा टिहरी।



**कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल**  
 आदेश सं० / प्रा०शि०-२ / **१५३** / वार्षिक स्थानान्तरण / २०१९-२० दिनांक **२५**, जून २०१९  
**अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गिहित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों का तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अनुरोध का प्रकार	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1-	श्रीमती मुन्नी पुण्डीर	रा०प्रा०वि० ब्यासी, नरेन्द्रनगर टि०ग०	रा०प्रा०वि० हिण्डोलाखाल, नरेन्द्रनगर टि०ग०	17 ख (एक)	रिक्त पद के प्रति
2-	श्रीमती सरोजनी भण्डारी	रा०प्रा०वि० कैन्थोगी, थौलधार टि०ग०	रा०प्रा०वि० रौंदेली, नरेन्द्रनगर टि०ग०	17 ख (चार)	रिक्त पद के प्रति
3-	श्रीमती सरोजबाला सेमवाल	रा०प्रा०वि० पंयाकोटी, भिलंगना टि०ग०	रा०प्रा०वि० भैंस्यारो, नरेन्द्रनगर टि०ग०	17 ख (पांच)	रिक्त पद के प्रति
4-	श्री मदनपाल	रा०प्रा०वि० चपोली, देवप्रयाग टि०ग०	रा०प्रा०वि० खनाना नरेन्द्रनगर टि०ग०	17 ख (छ.)	रिक्त पद के प्रति
5-	श्रीमती गुड्डी रोतेला	रा०प्रा०वि० जाख नैलचामी भिलंगना टि०ग०	रा०प्रा०वि० गैड, जौनपुर टि०ग०	17 ख (छ.)	रिक्त पद के प्रति
6-	श्रीमती कल्पना जोशी	रा०प्रा०वि० बैराईगांव, नरेन्द्रनगर टि०ग०	रा०प्रा०वि० डांडा की बेली, जौनपुर टि०ग०	17 ख (छ.)	रिक्त पद के प्रति
7-	श्रीमती बबीता सोवंशी	रा०प्रा०वि० ओखलाखाल, प्रतापनगर टि०ग०	रा०प्रा०वि० भदनी, नरेन्द्रनगर टि०ग०	17 ख (छ.)	रिक्त पद के प्रति
8-	श्री संजय कुमार गर्नेश	रा०आ०प्रा०वि० ढुंग, जाखणीधार टि०ग०।	रा०प्रा०वि० कर्यादा, थौलधार टि०ग०।	17 ख (छ.)	रिक्त पद के प्रति
9-	श्रीमती सुनीता सेलुरियाल	रा०प्रा०वि० पिलानीधार, प्रतापनगर टि०ग०	रा०आ०प्रा०वि० कर्यारी जमुण्डा, प्रतापनगर	17 ख (छ.)	रिक्त पद के प्रति
10-	श्री रोशन लाल	रा०प्रा०वि० पोखरियालगांव, प्रतापनगर टि०ग०	रा०प्रा०वि० भटवाडा मन्दार, जाखणीधार टि०ग०	17 ख (छ.)	रिक्त पद के प्रति


वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त / ग्रहण करेंगे।
  2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
  3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
  4. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित / टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
  5. स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा।
- उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(सुदर्शन सिंह विष्ट)  
 प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
 टिहरी गढ़वाल नई टिहरी।

पू०सं० / प्रा०शि०-२ / २१५४-६२ / वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20      दिनांक— उक्तांकित।  
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।  
2— जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।  
3— मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।  
4— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।  
5— अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल भण्डल पौड़ी।  
6— मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।  
7— वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी/सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।  
8— सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।  
9— सम्बन्धित कार्मिक।  
10— कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

  
प्रभारी जितेंद्र शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

## कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल

आदेश सं/प्राप्ति-2/ **१४४** /वार्षिक स्थानान्तरण /2019-20 दिनांक **२५**, जून 2019

### अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश:


उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों का तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं	सहायक अध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अनुरोध का प्रकार	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1-	श्री जयवीर सिंह	राजप्राधिविभाग, भिलंगना टिंगो	राजप्राधिविभाग मुनिकीरेती, नरेन्द्रनगर टिंगो	17 ख (एक)	रिक्त पद के प्रति
2-	श्री राकेश पंवार	राजप्राधिविभाग बगर, भिलंगना टिंगो	राजप्राधिविभाग काण्डी ऐराडी, कीर्तिनगर टिंगो	17 ख (एक)	रिक्त पद के प्रति
3-	श्री राजेश कुमार	राजप्राधिविभाग सेमली, भिलंगना टिंगो	राजप्राधिविभाग लामकोट, चम्बा टिंगो	17 ख (एक)	रिक्त पद के प्रति
4-	श्रीमती रमा देवी	राजप्राधिविभाग चौपां, नरेन्द्रनगर टिंगो	राजप्राधिविभाग डॉर, नरेन्द्रनगर टिंगो	17 ख (चार)	रिक्त पद के प्रति
5-	श्रीमती आभा उनियाल	राजप्राधिविभाग पाली, चम्बा टिंगो	राजप्राधिविभाग गोंठ, जौनपुर टिंगो	17 ख (चार)	रिक्त पद के प्रति
6-	श्रीमती बबली देवी	राजप्राधिविभाग जागधार, जाखणीधार टिंगो	राजप्राधिविभाग पौडीखाल, देवप्रयाग टिंगो।	17 ख (चार)	रिक्त पद के प्रति
7-	श्रीमती दीपिका आर्य	राजप्राधिविभाग जणगी, प्रतापनगर टिंगो	राजप्राधिविभाग पलाम चम्बा टिंगो	17 ख (पांच)	रिक्त पद के प्रति
8-	श्रीमती प्रभिला	राजप्राधिविभाग लाटा, भिलंगना टिंगो	राजप्राधिविभाग थल्यूड, जौनपुर	17 ख (पांच)	रिक्त पद के प्रति
9-	श्री सुरेन्द्र दत्त	राजप्राधिविभाग ओखलाखाल प्रतापनगर टिंगो	राजप्राधिविभाग तुनेटा, जौनपुर टिंगो	17 ख (छ.)	रिक्त पद के प्रति
10-	श्री मनमोहन उनियाल	राजप्राधिविभाग कस्तल, शैलधार टिंगो	राजप्राधिविभाग गैड, जौनपुर टिंगो	17 ख (छ.)	रिक्त पद के प्रति
11-	श्री सुरेन्द्र सिंह	राजप्राधिविभाग गवाणा मल्ला, भिलंगना टिंगो	राजप्राधिविभाग सेराअमाड़ी, नरेन्द्रनगर टिंगो	17 ख (छ.)	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश रखीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


4. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगमिति/टकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

  
 (सुरेश सिंह बिष्ट)  
 प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रापशि०),  
 टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

पृ०स० / प्रापशि०-२ / २१६३-७१ / वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20  
 प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

दिन/क— उक्तांकित।

- 1— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2— जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 3— मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 4— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5— अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6— मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- 7— वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी / सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
- 8— सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तरात उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- 9— सम्बन्धित कार्मिक।
- 10— कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

  
 प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रापशि०),  
 टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

# कार्यालय— जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल

आदेश सं०/प्रा०शि०-२/ १४१ /वार्षिक स्थानान्तरण /२०१९-२० दिनांक-२५, जून २०१९


## अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों का तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं०	सहायक अध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अनुरोध का प्रकार	आन्वयिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1-	श्री जगदीश प्रसाद	रा०उ०प्रा०वि० सुजडगांव, प्रतापनगर टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० ओडारखेत, नरेन्द्रनगर टि०ग०	17 ख (एक)	रिक्त पद के प्रति
2-	श्री विनोद प्रसाद बडोनी	रा०उ०प्रा०वि० बरनू थौलधार, टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० साबली, चम्बा टि०ग०	17 ख (चार)	रिक्त पद के प्रति
3-	श्री चन्द्रमोहन रत्नृ	रा०उ०प्रा०वि० पौनाडा, भिलंगना टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० घटुधार, भिलंगना टि०ग०	17 ख (चार)	रिक्त पद के प्रति
4-	श्री जयचन्द्र पंवार	रा०उ०प्रा०वि० भाल की माण्डे, जौनपुर टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० अगिण्डा, जौनपुर टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति
5-	श्री विजय लाल	रा०उ०प्रा०वि० कस्तल, जाखणीधार टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० ग्वालनानगर देवप्रयाग, टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति
6-	श्रीमती उमिला चौहान	रा०उ०प्रा०वि० उनाना, देवप्रयाग टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० लम्बधार, नरेन्द्रनगर टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति
7-	श्री पंकज कुमार	रा०उ०प्रा०वि० घटुधार, भिलंगना टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० दियूली, कीर्तिनगर टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति
8-	श्रीमती अनीता नौटियाल	रा०उ०प्रा०वि० खोला भिलंगना टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० इडियान, थौलधार टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति
9-	श्री तरशपाल सिंह	रा०उ०प्रा०वि० गवाणा भिलंग, भिलंगना टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० समणगांव, भिलंगना टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

  
 (सुदूरान लिखा विष्ट)  
 प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
 टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

# कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल

आदेश सं०/प्रा०शि०-२/ १५२ /वार्षिक स्थानान्तरण /2019-20 दिनांक- १५, जून 2019


## अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों का तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अनुरोध का प्रकार	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1-	श्री अनुसुशा प्रसाद डगवाल	रा०उ०प्रा०वि० मोटणाधार, चम्बा टिंग०।	रा०आ०वि० नई टिहरी, चम्बा टिंग०	17 ख (एक)	रिक्त पद के प्रति
2-	श्री नारायण प्रसाद सुयाल	रा०उ०प्रा०वि० चपोली, देवप्रयाग टिंग०।	रा०उ०प्रा०वि० हटवालगांव, जौनपुर टिंग०	17 ख (एक)	रिक्त पद के प्रति
3-	श्री शिव प्रसाद रत्नी	रा०उ०प्रा०वि० कण्डारगांव, मिलंगना टिंग०	रा०उ०प्रा०वि० भोनाबागी, चम्बा टिंग०	17 ख (चार)	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-


1. दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त / ग्रहण करेंगे।
  2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
  3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
  4. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित / टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
  5. स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा।
- उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।



(सुदूरपश्चिम बिहार)  
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।  
दिनांक- उक्तांकित।

प०सं०/ प्रा०शि०-२/ ११५-२३ /वार्षिक स्थानान्तरण /2019-20  
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी / सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
- 8- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- 9- सम्बन्धित कार्मिक।
- 10- कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।



प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।